न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जगदीश नारायण मथुरिया, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 12 / 2016 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2016 / 00144

उनवान

1. रीको जरिये सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको क्षेत्र ओडेला रोड, धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. इन्दो वेवा बालकिशन
2. दीवारीलाल } पुत्रगण स्व0 बालकिशन } जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम फिरोजपुर
3. गोकुल सिंह } तहसील व जिला धौलपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर दिनांक 08.06.2015 मि.नं. 189 / 2012 उनवानी इन्दो देवी बनाम रीको।

उपस्थितिः–

1. श्री रामनिवास परमार वकील अपीलांट।
2. श्री सुरेश कटारा अधिवक्ता रैस्पो0।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक–26.11.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 द्वारा एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वादीगण/रैस्पो0 विवादित आराजी खसरा नम्बर 1040/696 रकवा 03 बीघा वाके ग्राम फिरोजपुर तहसील धौलपुर के खातेदार हैं। प्रतिवादी/अपीलाण्ट उक्त विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में, अपील मीमो के कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन डिक्री, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्यायिक दृष्टांतो के विपरीत है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी से सम्बन्धित एक अन्य वाद जावित्री बनाम रीको में मूल खसरा नम्बर 696 का विवाद रहा है जिसमें अपीलाण्ट का आवंटन व कब्जा मानते हुये रीको के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजकीय चारागाह भूमि का काश्तकार रैस्पो0 को सिर्फ जमाबन्दी में गलत इन्द्राज के आधार पर कब्जा मानने में कानूनी भूल की है, जबकि वास्तव में यह भूमि निगम के नियोजन में शामिल है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि का आवंटन राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.04.1998 के द्वारा निगम को आवंटित राजकीय भूमि 154 बीघा 19 विस्वा में शामिल है। यह भूमि जमाबन्दी में गलत इन्द्राज के आधार पर रैस्पो0 की मान लेना सम्भव नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 द्वारा लिखित बहस पेश करते हुये, मौखिक कथनो में निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी को अधिग्रहण बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में कोई आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की है एवं ना ही कब्जा ग्रहण बाबत् कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त तनकीवार, तार्किक निर्णय पारित किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2003 पेज 50, 2004 पेज 761 का हवाला देते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित 05 तनकियॉ कायम की गयी हैं। अपील का निर्णय मुख्यतः तनकी नम्बर 01 के विवेचन पर आधारित है। तनकी नम्बर 01 की विवेचना में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य से अपने पक्ष को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

साबित नहीं करना बताया जाकर तनकी वहक वादी/प्रत्यर्थी तय की है। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज भी नहीं है जिससे वादी/प्रत्यर्थी कब्जा विवादित आराजी पर साबित होता हो। अपीलार्थी द्वारा पेश दस्तावेज में खसरा नम्बर 696 रकवा 03 बीघा 13 विस्वा रीको को आवटिंत होना प्रकट है और पूर्व वाद में अंकित भूमि से ही खसरा नम्बर 696/1040 बनना प्रकट होता है। जब मूल खसरे पर ही प्रत्यर्थी का कब्जा होना नहीं पाया है तो उससे बने हुये अंश पर कब्जा होना संदिग्ध प्रकट होता है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखें जाने योग्य प्रकट नहीं होता है। चूंकि प्रकरण में मूल खसरा नम्बर, उससे बने हुये विवादित खसरा नम्बर एवं अन्य वाद के सम्बन्ध पर पुनः विचार किया जाना अपेक्षित है।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2015 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 2611.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश नारायण मथुरिया)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official